

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)


66, रुद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विशानसभा उत्तराखण्ड (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं प्रेमानन्द महाजन पुत्र/पुत्री/पत्नी लक्ष्मी हरिन्द महाजन आयु 45 वर्ष
जो श्री. रामपुर कोट - दिरंगपुर, उत्तराखण्ड का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी)



- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लाय नहीं
- (II) पुलिस थाना (थाने) लाय नहीं जिला (जिले) लाय नहीं राज्य लाय नहीं
- (III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है लाय नहीं
- (IV) न्यायालय,जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई लाय नहीं
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था लाय नहीं
- (VI) क्या सभी लाय नहीं कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं लाय नहीं

2. मुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लाय नहीं
- (II) न्यायालय,जिसने दंडित किया है लाय नहीं
- (III) पुलिस थाना (थाने) लाय नहीं जिला (जिले) लाय नहीं राज्य लाय नहीं
- (IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लाय नहीं
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे लाय नहीं
- (VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं लाय नहीं

स्थान:- रुद्रपुर
तारीख:- 09-जनवरी-2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान

अनुसंधान और सही है और इसका कोई भाग गिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपाई नहीं गई है।
श्री. रुद्रपुर प्रमोद महाजन आज तारीख 09-01-2012 को सत्यापित किया।

Date: 09/01/2012
Identified by Shri. R.D.R. Mahajan, Khan
Contents of this affidavit are read over to the candidate who has acknowledged that he/she is not aware of any illegality in the contents of this affidavit.

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
पृष्ठ 15 का 6